प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.08.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 20.08.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त चोरी की घटनाएं कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 02 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	**वाद संख्या**	**थाना**	**विपक्षी का नाम व पता**	**आपराधिक इतिहास**
1	80/2026	अंकुर विहार	सचिन पुत्र नवल किशोर शर्मा निवासी हर्ष मार्डन स्कूल हनुमान मन्दिर के पास विजय विहार थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 297/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 298/2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद,
2	82/2026	मसूरी	हबीब पुत्र इलियास निवासी मुगल गार्डन थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 51 वर्ष मूल निवासी कुरली भटौना थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर	1. मु0अ0सं0 387/2019 धारा 380 भादवि थाना लिंकरोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद, 2. मु0अ0सं0 326/2024 धारा 305,307,317(2),331(4) बीएनएस, थाना नौचंदी जनपद मेरठ, 3. मु0अ0सं0 205/2025 धारा 305ए,317(2),317(4),324(4),3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 54** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 33- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।

स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन एवं थाना साहिबाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गांजा तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 20.08.2026 को स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन एवं थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित अपराधी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. गौरव पाल पुत्र धर्मपाल निवासी गली नं0-2 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद एवं 2. अमित कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम जैतपुरा थाना पछायगांव जिला इटावा, हाल पता रामपाल का किराये का मकान, निकट अहिल्याबाई पार्क के पास पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को हिण्डन नदी के किनारे, बालाजी बिहार के पास थाना साहिबाबाद क्षेत्र से दिनांक 20.08.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से कुल **20 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि बरामद गांजा वे लोग भुवनेश्वर, उड़ीसा के रेलवे स्टेशन के पास से एक व्यक्ति से खरीदकर लाते हैं, जिसे वे पूर्व से नहीं जानते हैं। उक्त व्यक्ति अक्सर रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता रहता है और वहीं से उन्हें गांजा कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। अभियुक्तगण उक्त गांजे को एनसीआर क्षेत्र में अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अभियुक्तगण ने बताया कि गांजा बेचकर प्राप्त पैसों से वे अपने शौक पूरे करने के साथ-साथ अपना घर चलाते हैं। अभियुक्तगण आज भी गांजा बेचने की फिराक में आए थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. **गौरव पाल** पुत्र धर्मपाल निवासी गली नं0-2 रामनगर अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. **अमित कुमार** पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम जैतपुरा थाना पछायगांव जिला इटावा, हाल पता रामपाल का किराये का मकान, निकट अहिल्याबाई पार्क के पास पाल रोड अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- अभियुक्तगण के कब्जे से **20 किलो 600 ग्राम गांजा** बरामद।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- अभियुक्त अमित कुमार एवं गौरव पाल के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध थाना सदर भुवनेश्वर, उड़ीसा में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, थाना सेक्टर-14 गुरुग्राम, हरियाणा में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग तथा थाना कल्याणपुरी, दिल्ली में पोक्सो एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

- अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध कुल 04 अभियोग पंजीकृत होना बताया गया है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- स्वाट टीम ट्रांस हिन्डन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी रिफण्ड कराने के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 3 मोबाइल फोन बरामद, थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत अभियोग सहित 03 राज्यों की कुल 24 लाख रुपये की साइबर ठगी की घटनाओं का अनावरण।

श्री रमेश कुमार शर्मा निवासी गुलधर, कविनगर गाजियाबाद के साथ बीमा पॉलिसी में रिफण्ड कराने के नाम पर कुल 11 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। घटना में फ्रीज कराये गये 143000/- रुपयों को NCRP पोर्टल की SOP के अनुसार रिफण्ड कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग की घटना कारित करने वाले अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्रा0 किरतपुर निमाना थाना लोधा जनपद अलीगढ़ हाल पता साईलोक गिरधरपुर छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर तथा आशीष शर्मा पुत्र स्व0 गोपाल शर्मा निवासी पी 194 सेक्टर 77 फरीदाबाद थाना सेक्टर 76 जनपद फरीदाबाद हरियाणा को थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों से घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया।

अभियुक्तों से बरामद साक्ष्य के आधार पर तेलंगाना राज्य के हैदराबाद निवासी बृजेश मौर्य के साथ 2.5 लाख रुपये तथा महाराष्ट्र राज्य के डोम्बीवली निवासी सतीश विनायक नाके के साथ 9.87 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड की घटना का खुलासा हुआ।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि पहले वो लोग सेक्टर 62 नोएडा में ग्रो अप इंश्योरेन्स पॉलिसी ब्रोकिंग कम्पनी में कॉलिंग का काम करते थे। कंपनी की तरफ से कस्टमर को इंश्योरेन्स पॉलिसी के सम्बन्ध में विभिन्न तरह की सर्विस देने के लिए ये लोग कॉल करते थे। कंपनी से इन्हें कस्टमर का डाटा मिलता था। ये लोग कंपनी में काम करने के दौरान ही कस्टमर को इंश्योरेन्स पॉलिसी सर्विस जैसे जीवन बीमा पॉलिसी के रिफण्ड के लिए विभिन्न टैक्स के नाम पर कस्टमर से कंपनी के बजाय अपने म्यूल बैंक खातों में पैसे जमा कराकर साइबर फ्रॉड कर रहे थे। चूंकि इन लोगों के पास कस्टमर का इंश्योरेन्स पॉलिसी डाटा होता था, इसलिये साइबर फ्रॉड के दौरान पीड़ित को इन लोगों पर आसानी से विश्वास हो जाता था।

ये लोग साइबर ठगी के दौरान इंश्योरेन्स कम्पनी के कर्मचारी का आई कार्ड गूगल से डाउनलोड कर उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिये उनके व्हाट्सअप पर भेजते थे। सुनील कुमार इंश्योरेन्स एजेन्ट के0के0 पाण्डेय बनकर, आशीष शर्मा इंश्योरेन्स एजेन्ट पवन कुमार पटेल बनकर लोगों को साइबर ठगी के लिये कॉल करते थे। साइबर फ्रॉड के लिये इंश्योरेन्स कम्पनी का डाटा तथा बैंक खाता की व्यवस्था आशीष शर्मा द्वारा की जाती थी।

अभियुक्तों के पास से बरामद अभिलेखों/साक्ष्यों से रमेश कुमार शर्मा निवासी गाजियाबाद के साथ 11 लाख रुपये, महाराष्ट्र राज्य के डोम्बीवली निवासी सतीश विनायक नाके के साथ 9.87 लाख रुपये तथा बृजेश कुमार मौर्य निवासी हैदराबाद के साथ 250000/- रुपये के साइबर फ्रॉड की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। इनके पास से अन्य लोगों के साथ व्हाट्सअप चैट बरामद हुई हैं, जिसके आधार पर अन्य घटनाओं का पता लगाया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. सुनील कुमार पुत्र स्व0 कालीचरन निवासी ग्राम किरतपुर निमाना थाना लोधा जनपद अलीगढ हाल पता साई लोक गिरधरपुर छपरौला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र 34 वर्ष शिक्षा 12 वीं।

.2आशीष शर्मा पुत्र स्वगोपाल शर्मा निवासी पी 194 सेक्टर 77 फरीदाबाद थाना सेक्टर 76 जनपद फरीदाबाद 0 हरियाणा उम्र करीब 33 वर्ष, शिक्षा 12 वीं।

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र कोतवाली, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण - 03 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण तथा पुलिस मुठभेड़ में नकबजनी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल, नकबजनी की घटना में चोरी किए गए सोने एवं चांदी के आभूषण कीमत करीब 50 लाख बरामद।

दिनांक 20.08.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा रात के समय वादी के मकान का ताला तोडकर चोरी कर लेना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 305ए/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा नकबजनी की घटना में चोरी किए गए सामान की बरामदगी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.08.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस व जरिये मुखबिर के माध्यम से थाना क्षेत्र में हुयी नकबजनी की घटना में चोरी करने बाले अभियुक्त सचिन पुत्र राजू निवासी डबल टंकी के पास रूपनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल व नकबजनी की घटना में चोरी किया गए सोने व चांदी के आभूषण कीमत करीब 50 लाख बरामद किए गए। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिन के समय घूम-फिर कर रैकी करता हूँ तथा रात्रि के समय मौका पाकर चोरी की घटना कारित करता हूँ। मैंने दिनांक 20.08.2026 को रात्रि के समय गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद में एक घर में घुसकर ताला तोडकर चोरी की घटना कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सचिन पुत्र राजू निवासी डबल टंकी के पास रूपनगर लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व नकबजनी की घटना में चोरी किए गए सोने एवं चांदी के आभूषण कीमत करीब 50 लाख बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा कमि0 गाजियाबाद के थानों पर करीब 01 दर्जन से अधिक नकबजनी/चोरी/चोरी का माल बरामदगी/आर्म्स एक्ट/ एनडीपीएस एक्ट/आबकारी अधिनियम आदि के अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर हत्या में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

दिनांक 13.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि वादी के भाई पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे वादी के भाई का गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा उसकी मृत्यु हो जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 126(2)/352/109(1)/103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1. ब्रहमपाल पुत्र रामसरन निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 73 वर्ष 2.आशा पत्नी सोनू निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तथा पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त सोहनपाल उर्फ सोनू पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद को गिरफ्तार करने हेतु अथक प्रयास किये गये थे। अभियुक्त सोहनपाल उर्फ सोनू उपरोक्त को थाना विनावर जनपद बदायूं से अवैध शस्त्र में थाना विनावर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जिला कारागार बदायूं में दाखिल किया गया था।

आज दिनांक 21.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त सोहनपाल उर्फ सोनू पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद को पीसीआर पर लेकर उसकी निशांदेही से हत्या में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर रेलवे लाइन के किनारे बेहटा हाजीपुर क्षेत्र लोनी बॉर्डर से बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक विपिन हमारी गली में अपनी बाइक का हॉर्न का बजा रहा था जिसके लिये मैंने मना किया था लेकिन नही माना। जिसको लेकर मेरी उसके साथ कहासुनी हो गयी थी फिर मैंने व मेरे घर वालों ने विपिन पर हमला कर दिया तथा गुस्से में आकर मैंने विपिन को जान से मारने की नियत से उस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। आज मेरी निशांदेही पर जो पिस्टल बरामद हुयी है। यह वही पिस्टल है, जिससे मैंने विपिन पर गोली चलायी थी।

अभियुक्त का नाम व पता

सोहनपाल उर्फ सोनू पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 हत्या का प्रयास का अभियोग व 01 अभियोग अवैध शस्त्र का थाना विनावर बदायूं पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सदोष मानव वध में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा बरामद।

दिनांक 20.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदीन द्वारा वादी के पिता के साथ मारपीट करना जिनको उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-105 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदीन निवासी मौहल्ला बहादुर गंज तिलहर कस्बा थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर हाल पता पुस्ता रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया तथा निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। मैं व मृतक दिलीप कुमार दोनों रामपार्क स्थित चौधरी के होटल में काम करते थे। दिनांक 20.08.2026 को रात्रि 2.30 AM बजे के आसपास मैंने व दिलीप ने शराब पी थी। मेरी दिलीप कुमार के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी, मैंने आवेश में आकर दिलीप कुमार के साथ डंडे से मारपीट कर दी थी। जिस कारण वह जमीन पर गिर गया था। मैं दिलीप कुमार को जमीन पर गिरा देख पकडे जाने के डर से डंडा लेकर मौके से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नरेन्द्र कुमार पुत्र रामदीन निवासी मौहल्ला बहादुर गंज तिलहर कस्बा थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर हाल पता पुस्ता रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 डंडा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 21.08.2026 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त देव कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद हाल पता डिफेन्स कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा वादी के साथ शराब के नशे में वादी के घर के बाहर सड़क पर गाडी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में जान से मारने की नियत से अवैध देशी तमंचा 315 बोर से फायरिंग करना व गाली देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाड़ी पर सुसंगत धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त देव कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह को मय 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त देव कुमार उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी अपने घर के बाहर सडक पर गाडी खड़ी करता है, सडक से गाडी को हटाने को लेकर मैंने नशे मे गाली देते हुए जान से मारने की नियत से उसके ऊपर फायर कर दिया था।

हिरासत में लिए अभियुक्त का नाम व पता-

देव कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद हाल पता डिफेन्स कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में थाना निवाडी पर हत्या के प्रयास के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय 03 खोखा कारतूस व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 19.08.2026 को दो पक्षों के द्वारा अपने गाँव सिखरानी में इकट्ठा होकर एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर एक दूसरे के ऊपर हवाई फायरिंग, पथराव, गाली गलौज व बलवा करना जिसके संबंध में थाना लोनी पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरूद्ध तत्काल धारा- 191(2)/191(3)/125/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.08.2026 को थाना लोनी पुलिस टीमों द्वारा दोनों पक्षों से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. अंकित मावी पुत्र रमेश को 01 अवैध पिस्टल मय 03 खोखा कारतूस 7.65 बोर व 2. अज्जू पुत्र सुन्दर को 01 अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारी दोनों पक्षों की पूर्व में लिये गये दस हजार रुपयों को लेकर आपस में कहासुनी हो गयी, इसी बात को लेकर दिनांक 19.08.2026 को दोनों पक्ष इकट्ठा

हुए और आपस में एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कर हवाई फायरिंग व पथराव कर झगडा किया था और मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. अंकित मावी पुत्र रमेश निवासी ग्राम सिखरानी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष
2. अज्जू पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम सिखरानी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 7.65 बोर मय 03 खोखा कारतूस व 01 अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

1. अभियुक्त अंकित मावी के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत तथा इसके अलावा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर मारपीट व हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत हैं।
2. अभियुक्त अज्जू के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।